

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,

हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

विषय:- निलंबित सरपंच ओमप्रकाश ग्राम पंचायत सिधरावली गुरुग्राम के विरुद्ध किये गए करोड़ों रुपये के गबन की शिकायत 01.07.2019 को सीएम विण्डो पत्र संख्या CMOFF/N/2019/069881 पर शिकायत के उपरान्त अभी तक कोई उचित कानूनी कार्यवाही न होने पर ध्यान आर्कषण पत्र।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं कार्यवाही सरपंच शकुन्तला व अन्य पंचगण गांव सिधरावली जिला गुरुग्राम के स्थायी निवासी है। मान्यवर, निलंबित सरपंच ओमप्रकाश के विरुद्ध सन 2016 से मार्च 2019 तक किये गए पंचायत की करोड़ों रूपयों की धनराशि का गबन की शिकायत हम सभी ने सीएम विण्डो पत्र संख्या CMOFF/N/2019/069881 पर की थी। परन्तु अभी तक गबन की कोई जांच नहीं हुई है। और ना ही किये गए करोड़ों रूपयों की धनराशि की रिकवरी नहीं हो पाई है। निलंबित ओमप्रकाश कानून प्रक्रिया के अन्दर जेल में होने की बजाय किये गए गबन के रूपयों से ऐसो आराम व मौज मस्ती कर रहा है। इसलिए ओमप्रकाश के विरुद्ध की गई शिकायत की जल्दी से जल्दी जांच करके किये गए करोड़ों रूपयों की भीपाई के साथ-साथ ओमप्रकाश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे।

धन्यवाद सहित।

दिनांक:-

स्थान:

संलग्न प्रति:- सीएम विण्डों पर की गई शिकायत पत्र की प्रतिलिपि। दिनांक 18.09.2019 का

निलंबित आर्डर की प्रतिलिपि संलग्न है।

9416334685

9466370302

9416835787

9215165027

8644845130

सपना

9812019358

प्रेम्बती

9812472668

अनीता

9466393066

राजबाला

9416738599

9813324141

मोनिता मापत

9466474262

प्रार्थीगण

शकुन्तला

कार्यवाहक सरपंच

ग्राम पंचायत सिधरावली

खण्ड पटौदी (गुरुग्राम)

8607619425



CM Grievances Redress & Monitoring System Haryana
मुख्यमंत्री कार्यालय

दिनांक: 01-07-2019

सेवा में

शकुंतला कार्यवाहक सरपंच व अन्य
गांव सिधरावली तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम
- 122413

पत्र प्राप्ति संख्या - CMOFF/N/2019/069881

आदरणीय श्रीमान / श्रीमति जी,
आपका पत्र दिनांक 01-07-2019 को प्राप्त कर लिया गया है ! यह पत्र संबंधित कार्यालय को आवश्यक कार्य हेतु विचार करने के उपरांत भेज दिया जाएगा !

कृपया भविष्य में इस पत्र के संबंधित किसी भी जानकारी अथवा पत्र व्यवहार के लिए पत्र प्राप्ति संख्या CMOFF/N/2019/069881, का इस्तेमाल करें !

You can track the status of your grievance on <http://cmharyanacell.nic.in>

You may download mobile app named **CM Window Haryana** from Google Play Store for your Android mobiles to track status of your grievance

(मुख्यमंत्री कार्यालय)
0172-3322500



* CMOFF / N / 2019 / 069881 *

Designed, Developed and Hosted by: NIC.

आदेश

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पटौदी द्वारा आपके विरुद्ध जांच करके जांच रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक 2251 दिनांक 07.08.2019 द्वारा इस कार्यालय में भिजवाई है। खण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 20.08.2019 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया। आप द्वारा दिनांक 04.09.2019 द्वारा आपने कारण बताओ नोटिस का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन करने पर जवाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके उपरान्त आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1314/पं0 दिनांक 04.09.2019 द्वारा दिनांक 10.09.2019 को प्रातः 10:00 बजे निजि सुनवाई हेतु उपायुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होने बारे लिखा गया। लेकिन आप निजि सुनवाई के लिए भी हाजिर नहीं आए तथा आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान निम्नलिखित आरोप आप पर सिद्ध होने पाए गए हैं:-

1. जांच के लिए खण्ड अधिकारी के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1727 दिनांक 27.06.2019 द्वारा रिकार्ड सहित उनके कार्यालय में दिनांक 03.07.2019 को उपस्थित होने बारे निर्देश दिए गए उस दिन आपने रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10.07.2019 तक का समय मांगा पुनः आपको खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 17.07.2019 को उक्त जांच के सम्बन्ध में रिकार्ड सहित 22.07.2019 को उपस्थित होने बारे निर्देश दिए गए। आप निश्चित तिथि पर उपस्थित तो हुए लेकिन रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 29.07.2019 को रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए लिख कर दे दिया इस तिथि को भी आप द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः आपको खण्ड अधिकारी के पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01.08.2019 द्वारा दिनांक 05.08.2019 को पुनः रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया परन्तु इस तिथि को ना तो आप हाजिर हुए ना ही आप द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जान बुझकर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं जो कि एक अति गम्भीर मामला है।
2. खण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम सचिव के माध्यम से जांच करवाई तो उन्होंने बताया की उनके कार्यकाल में केवल आप द्वारा एक ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26.01.2019 को बुलाई गई तथा ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं बुलाई जब बैंक से पंचायत के खाते की बैंक डिटैल मंगवाई गई तो पाया गया की आप द्वारा ग्राम पंचायत सिधरावली के खाते से लगभग

आदेश

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पटौदी द्वारा आपके विरुद्ध जांच करके जांच रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक 2251 दिनांक 07.08.2019 द्वारा इस कार्यालय में भिजवाई है। खण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 20.08.2019 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया। आप द्वारा दिनांक 04.09.2019 द्वारा आपने कारण बताओ नोटिस का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसका अवलोकन करने पर जवाब सन्तोषजनक नहीं पाया गया। जिसके उपरान्त आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1314/पं0 दिनांक 04.09.2019 द्वारा दिनांक 10.09.2019 को प्रातः 10:00 बजे निजि सुनवाई हेतु उपायुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होने बारे लिखा गया। लेकिन आप निजि सुनवाई के लिए भी हाजिर नहीं आए तथा आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान निम्नलिखित आरोप आप पर सिद्ध होने पाए गए हैं:-

1. जांच के लिए खण्ड अधिकारी के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1727 दिनांक 27.06.2019 द्वारा रिकार्ड सहित उनके कार्यालय में दिनांक 03.07.2019 को उपस्थित होने बारे निर्देश दिए गए उस दिन आपने रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 10.07.2019 तक का समय मांगा पुनः आपको खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 17.07.2019 को उक्त जांच के सम्बन्ध में रिकार्ड सहित 22.07.2019 को उपस्थित होने बारे निर्देश दिए गए। आप निश्चित तिथि पर उपस्थित तो हुए लेकिन रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 29.07.2019 को रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए लिख कर दे दिया इस तिथि को भी आप द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः आपको खण्ड अधिकारी के पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 01.08.2019 द्वारा दिनांक 05.08.2019 को पुनः रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया परन्तु इस तिथि को ना तो आप हाजिर हुए ना ही आप द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबुझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जान बुझकर उच्च अधिकारियों को आदेशों की अयहेलना करते हैं जो कि एक अति गम्भीर मामला है।
2. खण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम सचिव के माध्यम से जांच करवाई तो उन्होंने बताया की उनके कार्यकाल में केवल आप द्वारा एक ग्राम सभा की बैठक दिनांक 26.01.2019 को बुलाई गई तथा ग्राम पंचायत की कोई बैठक नहीं बुलाई जब बैंक से पंचायत के खाते की बैंक डिटेल मंगवाई गई तो पाया गया की आप द्वारा ग्राम पंचायत सिधरावली के खाते से लगभग



भारत सरकार
Government of India



शकुन्तला
Shankuntla
जन्म तिथि / DOB : 24/06/1977
महिला / Female



7361 4634 5452

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन आधिकारण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O: राज कुमार, सिधरावली १३९,
सिधरावली, गुडगाँव, हरियाणा,
122413

Address:
W/O: Rajkumar, Sidhrawali(139),
Sidhrawali, Gurgaon, Haryana,
122413

7361 4634 5452



1947



help@uidai.gov.in

www

www.uidai.gov.in